केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/12 दिनांक: 01.04.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00012

अपीलकर्ता : श्री आकाश पाण्डेय,
पुत्र श्री जगदीश पाण्डेय,
ग्राम – जगदीशपुर,
पो0 – टकटेउवा रामपुर,
जिला – मऊ – 273501, उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख : 01.04.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.10.2015
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	13.11.2015
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री जितेन्द्र खन्ना
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	16.11.2015
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	181065/11.12.2015
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	602/14.12.2015

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से पुलिस स्टेशन, खजूरी खास, दिल्ली से संबंधित सूचना मांगी थी । अपीलकर्ता ने अभियोग लगाया है कि नियत अवधि के उपरान्त भी उन्हें सूचना प्रदान नहीं करवाई गई है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता दिनांक 13.10.2015 को आर.टी.आई. आवेदन दाखिल किया जो कि इस आयोग में दिनांक 04.11.2015 को तथा आर.टी.आई. सेल में दिनांक 05.11.2015 को प्राप्त हुआ, जिसका प्रतिउत्तर श्री जितेन्द्र खन्ना, अनुभाग अधिकारी, आर.टी.आई. सेल द्वारा आवेदन प्राप्ति के दस दिनों के अंदर ही अर्थात दिनांक 13.11.2015 को सूचना उपलब्ध करा दी गई । प्रसंगवश अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु प्रदान की गई सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है । संचिका का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया अपीलकर्ता ने बहुत ही जल्दवाजी में, पत्र प्रेषण में डाक विभाग द्वारा लगने वाले समय को नजरअंदाज करते हुए दाखिल किया गया है, अथार्त 13.10.2015 को आर.टी.आई. आवेदन और दिनांक 16.11.2015 को प्रथम अपील ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
12 APR 2016
Initials.............

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
12 APR 2016
D No.............
Initials.............

--2/-

4. अपीलकर्ता यदि प्रदान की गई सूचना से सतुष्ट न हों तो, सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख् पुन: प्रथम अपील दाखिल कर सकते हैं ।

अधोहस्ताक्षरी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण अपील के निपटान में हुई देरी के लिए खेद है ।

संलग्नक: यथोपरि ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

12/4/16